

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स
नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. 4166/एफ-7-7-31/एस-2/2001 (पार्ट-III),
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 27/08/2015

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
सिहावा भवन,
रायपुर (छ.ग.)

- विषय :- जल संसाधन विभाग में अनुरक्षण कार्यों को पीस वर्क पद्धति से कराये जाने बाबत।
संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक-4211220/वि./सर्कू./भाग-4/7115, दिनांक 03.06.2015.
2. छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्र.-1381/ज.सं./त.शा./2001, दिनांक 24.04.2001.

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के अनुदेश क्र.-1381/ज.सं./त.शा./2001, रायपुर, दि.24.04.2001 द्वारा विभाग में केवल सर्वेक्षण कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए पीस वर्क पद्धति से कार्य कराया जाना प्रतिबंधित है। राज्य शासन के विचारोंपरान्त अनुदेश दि. 24.04.2001 को अतिक्रमित करते हुए, विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं वर्क चार्ज अमले की अपर्याप्तता एवं आपकी अनुशंसा पर विभाग में निर्मित योजनाओं के केवल मरम्मत एवं रखरखाव जैसे तत्कालिक आवश्यक एवं अत्यल्प समय में किये जाने वाली अनुरक्षण कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए पीसवर्क से कार्य कराये जाने की पद्धति को, जिसमें सर्वेक्षण कार्य भी शामिल है, को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। पीसवर्क प्रणाली से मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य किये जाने की अनुमति निम्नांकित प्रक्रिया के तहत दी जाती है :-

1. पीस वर्क पद्धति से कराये जाने वाले कार्यों की दर, मंडल स्तर पर, विभिन्न कार्यों के लिए आमंत्रित निविदाओं की दरों के आधार पर विभागीय दर सूची (USR) से कम या अधिक प्रतिशत पर निर्धारित की जावे।
2. यूनीफाईड पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों अथवा विभिन्न मुख्य अभियंताओं के कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार इंजीनियरों को पीस वर्क आबंटित किए जा सकेंगे।
3. पीस वर्क अधिकतम रु. 2.50 लाख की राशि के जारी किए जा सकेंगे।
4. कार्यपालन अभियंता से प्राप्त पीस वर्क प्रस्ताव संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वीकृत करेंगे। इसके लिए पंजी का संधारण भी मण्डल कार्यालय में होगा। किसी एक ठेकेदार अथवा फर्म को एक ही मण्डल के अधीन एक पीस वर्क आबंटित होने पर दूसरा पीस वर्क तीन माह बाद एवं पूर्व आबंटित कार्य कम से कम 60 प्रतिशत पूर्ण होने पर ही दिया जा सकेगा।
5. उक्त कण्डिका के परिपालन में ठेकेदार अथवा फर्म द्वारा आवेदन के साथ उनके हाथ में कोई पीस वर्क होने अथवा न होने संबंधी शपथ पत्र भी कार्यपालन अभियंता के माध्यम से अधीक्षण अभियंता को दिया जायेगा तथा उस कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भी दर्शायी जावेगी। कोई भी पीस वर्क हाथ में होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालन अभियंता का प्रमाण पत्र (जिसमें कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति दर्शायी गई हो) भी प्रस्तुत करेगा।
6. अनुरक्षण कार्यों के लिए पीस वर्क पर व्यय केवल लेखा शीर्ष 2700, 2701 एवं 2702 के अंतर्गत आने वाले कार्यों पर ही किया जा सकेगा।

ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।
उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

सहपत्र:- शून्य।


(अ.रि.के. नारद)

अवर सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर